फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

स्टेट जरिये तहसीलदार **बनाम** मुखराम पुत्र प्रेमाराम व अन्य

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र 177 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्याः–121/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.2020	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई।	

पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रा0पत्र दोहराते हुए निवेदन कि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि खाता संख्या 19/31 चक 2 के0एन0डी0 के प0नं0 151/32 कि0नं0 11,16 ता 20 की 1.518 है0, प0नं0 151/40 कि0नं0 17 ता 24 की 1.872 है0 व प0नं0 151/33 कि0नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 18, 19 की 2.770 है0 कुल 6.160 हैक्टर भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण इस भूमि के प0नं0 151/32 कि0नं0 11 में 0.126 हैक्टर में अवैध खनन कर जिप्सम निकाल रहे है। जिससे भूमि नाकाबिल काश्त हो गई है। इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा अवैध खनन के आरोप में एवं आवंटन शर्तो उल्लघंन करने पर अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर उक्त रकबा आराजी राज दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 5 दिनांक 05.06.2012 को जरिये अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आ गये तथा अप्रार्थी संख्या 6 को दिनांक 26.04.2013 को पक्षकार बनाया गया। दिनांक 08.07.2013 को अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द कर दिया गया।

हमने पैराकार राज की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मुताबिक संलग्न जमाबन्दी खाता संख्या 19/31 चक 2 के0एन0डी0 के प0नं0 151/32 कि0नं0 11,16 ता 20 की 1.518 है0, प0नं0 151/40 कि0नं0 17 ता 24 की 1.872 है0 व प0नं0 151/33 कि0नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 18, 19 की 2.770 है0 कुल 6.160 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रकरण अनुसार अप्रार्थीगण उपर्युक्त प0नं0 151/32 कि0नं0 11 में 0.126 है0 रकबा में से अवैध खनन कर जिप्सम निकाल रहें है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण इस न्यायालय मे हाजिर आने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही किया है इससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से कृषि कार्य न कर जानबुझकर अवैधानिक रूप से खनन कार्य कर जिप्सम निकाल रहें है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 सपठित धारा 63(v) राज.काश्त.कानून 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा चक 2 के0एन0डी0 के प0नं0 151/32 कि0नं0 11 में 0.126 है0 भूमि में से अवैध रूप से जिप्सम खनन करने के कारण एवं आंवटन शर्तो का उल्ल्घंन करने कारण अप्रार्थीगण 1 ता 6 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खाता संख्या 19/31 चक 2 के0एन0डी0 के प0नं0 151/32 कि0नं0 11,16 ता 20 की 1.518 है0, प0नं0 151/40 कि0नं0 17 ता 24 की 1.872 है0 व प0नं0 151/33 कि0नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 18, 19 की 2.770 है0 कुल 6.160 हैक्टर भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। रकबा आराजी राज दर्ज किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3060
10/4/2020

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.25 13:06:28 IST
Reason: SelfAttested